16/07 तहसीलदार बनाम अधिवासी आदि

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-2-2021 लैण्ड होल्डर स्वयं उप०। साक्ष्य कराना नहीं चाहते हैं। अतः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 15-2-2021 को पेश हो। [signature]	
15-2-2021 लैण्ड होल्डर उप०। प्रा०पत्र 136 L.R. Act. अस्वीकार किया जाता है एवं विधिवत दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कलेक्टर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:00 IST
Reason: SelfAttested

12.3.2007 15.2.2021

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गंगापुर की खतौनी बन्दोबस्त सम्बत 2003 ल0 2022 में माफी मंदिर श्रीआदिनाथजी पुजारी पंच सरावगीयान सा.देह की खातेदारी में ख0न0 512 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 513 रकबा 9 बिस्वा, ख0न0 514 रकबा 8 बिस्वा, ख0न0 515 रकबा 17 बिस्वा, ख0न0 516 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 517 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0न0 518 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 519 रकबा 2 बीघा, ख0न0 604 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 606 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 608 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 609 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा भूमि दर्ज है। संवत 2019 मे भूमि एकीकरण विभाग ने पैरा संख्या 1 मे अंकित खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 313 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, 314 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 315 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 404 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 406 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 402 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा बनाये है। भूमि एकीकरण ने खसरा नम्बर 313 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, 314 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 315 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 404 रकबा 4 बिस्वा भूमि को माफी श्रीआदिनाथ जी विराजमान गंगापुर के नाम दर्ज की है तथा ख0न0 406 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 402 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि को बिना किसी आदेश/नामान्तकरण के टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम गंगापुर सिटी के नाम अवैधानिक रूप से दर्ज कर दिया गया है। हॉल भूप्रबन्ध विभाग ने मद संख्या 2 मे अंकित ख0नम्बरान के 382 रकबा 1.10 है0, ख0न0 385 रकबा 0.44 है0, ख0न0 383/694 रकबा 0.12 है0, ख0न0 383/615 रकबा 0.20 है0, ख0न0 381 रकबा 0.02 है0, ख0न0 383 रकबा 0.24 है0, ख0न0 463/668 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 रकबा 2.17 है0 बनाकर श्रीआदिनाथ जी महाराज सा. देह की खातेदारी मे दर्ज किये है। मद संख्या 2 मे अंकित ख0न0 406 रकबा 18 बिस्वा, 402 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के भूप्रबन्ध विभाग ने कोई नवीन नम्बर मिलान क्षेत्रफल मे नही बनाये है। साबिक हॉल नक्शों का मिलान करने पर ख0न0 406 रकबा 18 बिस्वा, 402 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा की भूमि हॉल ख0न0 463 रकबा 25.90 है0 में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आदेश/नामान्तकरण के शामिल कर गैर मुमकिन आबादी सिवायचक मे दर्ज कर दी है। वर्तमान जमाबंदी सवंत 2060—63 हॉल ख0न0 463 रकबा 25.90 है0 भूमि गैर मुमकिन आबादी सिवायचक मे दर्ज है। भूमि एकीकरण विभाग ने माफी मंदिर की भूमि को मद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:00 IST
Reason: SelfAttested

है कि ग्राम गंगापुर के हॉल ख0न0 463 रकबा 25.90 है0 मे से 1.00 है0 भूमि माफी मंदिर श्रीआदिनाथजी सा. देह के नाम जमाबंदी मे अंकन करवाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि भूमि नियमानुसार टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम गंगापुर सिटी के नाम दर्ज हुई है। यह भूमि नगर पालिका गंगापुर सिटी की है तथा प्रार्थी रिकार्ड से व मौके की स्थिति से प्रार्थना पत्र साबित करे। भूमि नगर पालिका की है जिस पर आबादी बसी हुई है जिसकी मौका रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने नकल जमाबंदी सं0 2003 लगायत 2022, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, नकल खतौनी एकीकरण संवत 2019, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, नकल खतौनी भूप्रबन्ध संवत 2039, नकल जमाबंदी संवत 2060–2063 नकल साबिक नक्शा ट्रेस व हॉल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की बहस सुनी गई।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख नकल जमाबंदी संवत 2003–2022 के अनुसार वादग्रस्त भूमि साबिक ख0न0 512 लगायत 519, 604, 606, 608, 609 कुल किता 12 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा ग्राम गंगापुर माफी मंदिर श्रीआदिनाथजी पुजारी पंच सरावगीयान सा.देह की खातेदारी मे दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण के दौरान इन नम्बरों के नवीन ख0न0 313 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 314 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 315 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 404 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 406 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 402 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा बनाये गये है। नकल खतौनी एकीकरण संवत 2019 के अनुसार ख0न0 406, 402 को भूमि एकीकरण के दौरान टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम गंगापुर सिटी के नाम दर्ज कर दिया गया है। हॉल भूप्रबन्ध से ख0न0 406 व 402 का कोई पृथक से नम्बर नही बनाया गया है परन्तु तहसीलदार के कथनानुसार भूप्रबन्ध के दौरान इस भूमि को ख0न0 463 रकबा 25.90 है0 गैरमुमकिन आबादी मे शामिल कर दिया गया है। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि लैण्ड होल्डर तहसीलदार धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत राजस्व अभिलेख मे दर्ज खातेदारी प्रविष्ठियों को परिवर्तित करवाना चाहता है जबकि इस धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत दुरूस्ती योग्य नही बनता है। प्रस्तुत मामले के वादपत्र के माध्यम से ही दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल.आर. एक्ट अस्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि को पुनः मंदिर के नाम दर्ज करवाने हेतु विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करे। लैण्ड होल्डर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात वापिस लौटाये जावे।

पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:00 IST
Reason: SelfAttested